



सतत विकास के सन्दर्भ में डिजिटल समावेशन और औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका : राँची जिले के विशेष सन्दर्भ में

Syed Rashida Abbas

Research Scholar, Dept of Education, RKDF University, Ranchi

Abstract (सारांश): वर्तमान अध्ययन "सतत विकास के सन्दर्भ में डिजिटल समावेशन और औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन (राँची जिले)" डिजिटल युग में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और सशक्तिकरण के बीच सम्बन्ध स्थापित का विश्लेषण करता है। सतत विकास की अवधारणा केवल पर्यावरणीय संरक्षण तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें सामाजिकता समानता और आर्थिक समावेशन भी शामिल है। इस सन्दर्भ में डिजिटल समावेशन महिलाओं को सूचना संसाधनों और रोजगार के अवसरों तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे उसकी उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि होती है। इस अध्ययन में राँची जिले के औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के डिजिटल साक्षरता स्तर तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता तथा उसके आर्थिक योगदान का विश्लेषण किया गया है। प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर यह पाया गया है कि डिजिटल तकनीकों तक सीमित पहुँच प्रशिक्षण की कमी और सामाजिक बाधाएँ महिलाओं की पूर्ण भागीदारी में अवरोध उत्पन्न करती हैं। हालाँकि जिन महिलाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीक प्रशिक्षण उपलब्ध हुआ है, उनमें आत्मनिर्भरता, निर्णय निर्माण क्षमता और आय स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है।

यह अध्ययन यह निष्कर्ष निकालता है कि डिजिटल समावेशन का बढ़ावा देकर औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ किया जा सकता है जो सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगा। नीति-निर्माताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे डिजिटल शिक्षा, प्रशिक्षण और आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दें, ताकि महिलाओं को समान अवसर मिल सकें।

Keyword: (मुख्य शब्द) – सतत विकास, डिजिटल समावेशन, महिला सशक्तिकरण, राँची जिला, औद्योगिक क्षेत्र, आर्थिक विकास, अध्ययन, शिक्षा।

1- भूमिका –

आज का युग डिजिटल युग है। आज सब कुछ डिजिटल हो रहा है। हमारा समाज हर क्षेत्र में डिजिटली विकास कर रहा है। सामाजिक रूप से टिकाऊ डिजिटल समावेशन का अर्थ इंटरनेट या स्मार्टफोन उपलब्ध कराना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल तकनीक का उपयोग समावेशी, न्यायसंगत और समाज के हर वर्ग को सशक्तिकरण करना। यह केवल इंटरनेट कनेक्शन देने तक सीमित नहीं है बल्कि डिजिटल साक्षरता और कौशल विकसित करने के बारे में भी है। जिससे लोग इसका उपयोग अपने सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए कर सकें। डिजिटल तकनीक सेवाएँ और अवसर सभी तक समान, सार्थक और सुरक्षित पहुँचे जो समाज के सभी वर्गों के लिए आय क्षमता या स्थान की परवाह किये बिना स्थायी रूप से उपलब्ध हो सकें।

2- राँची जिले की पृष्ठ भूमि :-

राँची झारखंड की राजधानी तथा राज्य का महत्वपूर्ण आर्थिक और औद्योगिक केंद्र है। जिला प्रशासन के अनुसार राँची में उपलब्ध मानव संसाधन, तकनीकी एवं शैक्षणिक संस्थान, परिवहन-संचार सुविधाएँ तथा विद्युत व्यवस्था औद्योगिक गतिविधियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। राँची औद्योगिक क्षेत्र उद्यमियों के लिए अनुकूल क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है।

राँची में इंजीनियरिंग एवं खनन उद्योगों के साथ-साथ एग्रीकल्चर, हैंडलूम, हस्तशिल्प, खादी और वस्त्र जैसे ग्रामीण उद्योग भी मौजूद हैं। जिला प्रशासन द्वारा इन क्षेत्रों के आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्नयन, उत्पाद डिजाइन और विपणन सहायता को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है।

2011 की जनगणना के अनुसार राँची जिले की कुल जनसंख्या 29,14,253 थी जिसमें महिलाओं की संख्या 14,19,316 थी। राँची की महिला साक्षरता दर 67.44 प्रतिशत थी।

3- साहित्य समीक्षा :-

उपलब्ध साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मानव विकास, डिजिटल समावेशन तथा महिला सशक्तीकरण एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए विषय हैं। वर्तमान समय में डिजिटल तकनीक महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, वित्तीय सेवाओं, बाजार तथा सरकारी योजनाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। इस कारण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण में डिजिटल समावेशन की भूमिका निरंतर महत्वपूर्ण होती जा रही है। भारत सरकार के सतत विकास लक्ष्य-राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण को सतत विकास का महत्वपूर्ण घटक माना गया है। इसमें सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण पर भी बल दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल पहुँच केवल तकनीकी सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता का साधन भी है।

भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से संबंधित साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि डिजिटल सेवाओं का विस्तार बैंकिंग, शिक्षा, रोजगार, सरकारी सेवाओं और उद्यमिता के क्षेत्रों में महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन प्रशिक्षण और ई-कॉमर्स जैसी सुविधाएँ महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय बनाने में सहायक हो सकती हैं।

महिला सशक्तीकरण से संबंधित अध्ययनों में यह पाया गया है कि महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता उनके सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। औद्योगिक एवं उद्यमिता क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से परिवार की आय, रोजगार और स्थानीय आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान हो सकता है।

ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित साहित्य में यह बात सामने आती है कि महिलाओं को डिजिटल तकनीक से जोड़ने में कई प्रकार की बाधाएँ होती हैं। इनमें डिजिटल साक्षरता की कमी, इंटरनेट की सीमित उपलब्धता, स्मार्टफोन एवं अन्य उपकरणों तक कम पहुँच, आर्थिक कठिनाइयाँ, प्रशिक्षण की कमी तथा सामाजिक-पारिवारिक परिस्थितियाँ प्रमुख हैं। इसलिए केवल डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, महिलाओं को उनका प्रभावी और सुरक्षित उपयोग करने का प्रशिक्षण भी आवश्यक है।

राँची जिले के संदर्भ में उपलब्ध सरकारी साहित्य से ज्ञात होता है कि जिले में इंजीनियरिंग, खनन, हस्तशिल्प, हैंडलूम, खादी, वस्त्र तथा अन्य आर्थिक गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को डिजिटल तकनीक, कौशल प्रशिक्षण और बाजार से जोड़कर और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

4- सामाजिक रूप से टिकाऊ समावेशन के मुख्य स्तम्भ

4-1 समान पहुँच और किफायती डेटा :- डिजिटल उपकरण और इंटरनेट सेवाएँ ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों तक सस्ती दरों तक पहुँचे जिससे डिजिटल खाई को पाटा जा सके। (Digital India जैसी पहल को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है।)

4-2 डिजिटल साक्षरता और कौशल :- आज केवल तकनीकी ज्ञान देना ही काफी नहीं है उसका उपयोग करना भी सीखना चाहिए। लोगों को डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के लिए शिक्षित करना विशेष रूप से वंचित समूहों को ताकि वे रोजगार और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकें। आज महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल ज्ञान देना जरूरी है जिससे वे अपने सब काम कर सकें।

4-3 स्थानीय भाषा :- डिजिटल सामग्री स्थानीय भाषा में उपलब्ध होनी चाहिए। डिजिटल जानकारी को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराना जिससे आम आदमी सूचना तक आसानी से पहुँच जाए। भाषा की बाधा व्यक्ति के विकास में बाधा नहीं डालेगी।

4-4 सुरक्षा और विश्वास :- डिजिटल समावेशन का अर्थ है – सुरक्षित समावेशन। लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाना जिससे वे डिजिटल सेवाओं पर भरोसा कर सकें। डेटा गोपनीयता और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा जैसा कि भारत में डीपीडीपी अधिनियम 2023 द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है।

4-5 सहायक प्रौद्योगिकियाँ :- दिव्यांगजनों के लिए विशेष डिजिटल उपकरण और सामग्री उपलब्ध कराना जिससे वे अच्छी तरह से समझ सकें और उसका उपयोग आसानी से कर सकें।

5- भारत में सामाजिक डिजिटल समावेशन के प्रयास :-

5.1 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम :- इस पहल का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है। देश में सब कार्य डिजिटल रूप से होगा।

5.2 शिक्षा में ICT (NCERT) :- इसके माध्यम से समावेशी शिक्षा के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग जिससे ग्रामीण एवं वंचित बच्चों तक पहुँच सुनिश्चित की जा रही है।

5.3 ई-गवर्नेंस :- सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन लाकर भ्रष्टाचार को कम करना और पारदर्शिता बढ़ाना। यह समावेशन शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक समाज की भागीदारी को बढ़ावा देकर एक समावेशी और 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में मदद करता है।

5.4 सुलभता और लचीलापन - डिजिटल शिक्षा सभी वर्ग, आयु के लिए सुलभता और लचीलापन उपलब्ध कराती है। डिजिटल शिक्षा भौगोलिक बाधाओं को तोड़ती है जिससे छात्र-छात्रा घर बैठे कहीं से भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

5.5 शिक्षा में बदलाव - आज शिक्षा की विधियों में बदलाव आया है। कक्षा में पारंपरिक चौक-बोर्ड की जगह स्मार्ट क्लास रूम और डिजिटल बोर्ड ले रहा है जिससे जटिल विषयों को समझना आसान हो गया है। छात्र उत्सुकता से स्मार्ट क्लासरूम में आते हैं और डिजिटल बोर्ड द्वारा नवीन ज्ञान अर्जन करते हैं।

5.6 संसाधन एवं सामग्री - आज का युग तकनीकी ज्ञान का युग है। आज संसाधन एवं सामग्री की कमी नहीं है। इंटरनेट पर उपलब्ध वीडियो, ई-बुक्स, शैक्षिक ऐप्स और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम छात्रों को समृद्ध अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं।

5.7 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) - यह नीति समावेशी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देती है जैसे कि ICT सहायक प्रौद्योगिकियों और ई-पाठ्यपुस्तकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षा क्षेत्र में बदलाव आया है।

6- डिजिटल समावेश और डिजिटल सशक्तिकरण की आवश्यकताएँ :-

6.1. जानकारी हासिल करना :-

- डिजिटल युग में सूचना तक पहुँच बुनियादी जरूरत है
- उद्देश्य :- भौगोलिक स्थिति और आर्थिक पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर सबको ऑनलाइन जानकारी/ज्ञान तक समान पहुँच देना
- लाभ :- ऑनलाइन संसाधन, शिक्षा, समाचार से सीखने और अपडेट रहने का मौका

6.2. शिक्षा एवं कौशल विकास :-

- डिजिटल तकनीक को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए डिजिटल साक्षरता जरूरी
- मुख्य कौशल : बेसिक कंप्यूटर, इंटरनेट उपयोग, ऑनलाइन संचार, डिजिटल कंटेंट निर्माण, क्रिटिकल थिंकिंग
- महत्व : तकनीक-संचालित समाज में अनुकूलन और सफलता के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम जरूरी

6.3. आर्थिक अवसर

- डिजिटल सशक्तिकरण से उद्यमिता, रोजगार, आर्थिक विकास के रास्ते खुलते हैं
- डिजिटल प्लेटफॉर्म से : खुद का बिजनेस, वैश्विक बाजारों तक पहुँच, ऑनलाइन बाजारों का लाभ
- परिणाम : आय सृजन, रोजगार सृजन, आर्थिक उन्नति

6.4. नागरिक भागीदारी

- डिजिटल समावेश से ई-गवर्नेंस में भागीदारी और लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग संभव
- लाभ : सरकारी सेवाओं से जुड़ना, जानकारी पाना, राय व्यक्त करना, सार्वजनिक चर्चा में योगदान
- असर : निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी बढ़ती है

6.5 सामाजिक संबंध :

- डिजिटल समावेश सामाजिक जुड़ाव बढ़ाता है, अलगाव कम करता है। लाभरू भौतिक दूरी के बावजूद संवाद, सहयोग और अनुभव साझा करना संभव

- माध्यम : सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
- One-line Summary: डिजिटल समावेश = सबके लिए जानकारी, स्किल, रोजगार, नागरिक अधिकार और सामाजिक जुड़ाव के बराबर डिजिटल अवसर।

7- डिजिटल समावेश में महिलाओं की भागीदारी

7-1 डिजिटल समावेश में महिला भागीदारी का अर्थ : डिजिटल समावेश यानी सबको बराबर डिजिटल अवसर देना। महिलाओं की भागीदारी का मतलब है – इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर और डिजिटल सेवाओं तक महिलाओं की पहुँच, उपयोग और उससे सशक्त होना।

7.2 महिला भागीदारी क्यों जरूरी है?

- आबादी का 50% : देश की आधी आबादी महिलाएँ हैं। इन्हें छोड़कर सही मायने में 'डिजिटल इंडिया' नहीं बन सकता।
- आर्थिक सशक्तिकरण : डिजिटल स्किल से महिलाएँ घर बैठे बिजनेस, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन सेलिंग कर सकती हैं।
- शिक्षा और स्वास्थ्य : ई-लर्निंग, टेलीमेडिसिन, सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे मिलती है।
- खखवि 3 (पृष्ठ संख्या 11),

7.3 महिलाओं की भागीदारी में मुख्य चुनौतियाँ :-

क्रम.	चुनौती	विवरण
1.	डिजिटल जेंडर गैप	भारत में पुरुषों की तुलना में 33% कम महिलाएँ मोबाइल इंटरनेट चलाती हैं
2.	साक्षरता की कमी	ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बेसिक साक्षरता दोनों कम
3.	सामाजिक बाधाएँ	परिवार की रोक-टोक, 'मोबाइल बिगाड़ देता है' जैसी सोच
4.	सुरक्षा की चिंता	ऑनलाइन हैरेसमेंट, प्राइवैसी का डर
5.	आर्थिक कारण	स्मार्टफोन/डेटा खरीदने के लिए पैसे न होना

8- औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका :-

औद्योगिक विकास में महिलाओं की भूमिका अनेक स्तरों पर दिखाई देती है। राँची जिले में महिलाओं की संभावित एवं वर्तमान भागीदारी निम्न क्षेत्रों में देखी जा सकती है—

8-1 महिला उद्यमिता :- महिलाएँ सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के माध्यम से उत्पादन और सेवा क्षेत्र में योगदान दे सकती हैं। खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई, लघु विनिर्माण तथा डिजिटल सेवाएँ महिला उद्यमिता के महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकते हैं।

8-2 हस्तशिल्प एवं ग्रामीण उद्योग :- हस्तशिल्प, हैंडलूम, खादी एवं वस्त्र जैसी गतिविधियाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार एवं आय का माध्यम बन सकती हैं। डिजिटल विपणन के माध्यम से इन उत्पादों को स्थानीय बाजार से बाहर भी पहुँचाया जा सकता है।

8-3 डिजिटल उद्यमिता :- स्मार्टफोन और इंटरनेट के माध्यम से महिलाएँ उत्पादों का प्रचार, ग्राहक संपर्क, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन बिक्री और व्यवसाय संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।

8-4 औद्योगिक रोजगार :- तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाएँ इंजीनियरिंग, उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रशासन, लेखांकन, IT तथा अन्य औद्योगिक सेवाओं में अधिक भागीदारी कर सकती हैं।

8-5 प्रबंधन और नेतृत्व :- महिलाओं की औद्योगिक भागीदारी केवल श्रमिक के रूप में नहीं बल्कि प्रबंधक, पर्यवेक्षक, उद्यमी और निर्णयकर्ता के रूप में भी बढ़ाना आवश्यक है।

9- डिजिटल समावेश : डिजिटल युग में भारत का सशक्तिकरण :-

भारत का डिजिटल रूपांतरण जनसंख्या के लिहाज से वैश्विक स्तर पर कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी-सक्षम सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के सबसे बड़े विस्तारों में से एक का प्रतीक है। साल 2015 में आरंभ किए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में निहित इस रणनीति का केंद्र प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल अवसरचना को एक मूलभूत उपयोगिता के रूप में विकसित करना, डिजिटल विभाजन को पाटना, मांग के अनुरूप शासन और सेवाएं उपलब्ध कराना तथा डिजिटल पहुंच के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना रहा है।

एक दशक पहले तक भारत में डिजिटल विभाजन काफी स्पष्ट और गहरा था। हाई-स्पीड इंटरनेट मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक सीमित था, ग्रामीण संपर्क (कनेक्टिविटी) सीमित था, और ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच स्थान, आय और डिजिटल साक्षरता पर निर्भर करती थी।

10- भारत की डिजिटल अवसरचना का निर्माण :-

भारत की डिजिटल रीढ़ तीन परस्पर जुड़े स्तंभों के माध्यम से संचालित होती है : सार्वभौमिक संपर्क अवसरचना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और कंप्यूटिंग क्षमता। ये स्तंभ मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि पहुंच, सेवाएं और प्रौद्योगिकी क्षमता एक साथ विकसित हों।

भारतनेट (वर्ष 2011 में लॉन्च) के तहत ऑप्टिकल फाइबर का व्यापक विस्तार हाई-स्पीड इंटरनेट को ग्रामीण भारत तक पहुंचाता है। वर्ष 2026 की शुरुआत तक 2.15 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा चुका है।

भारत का 5G नेटवर्क (दिसंबर 2025 तक) 5.18 लाख से अधिक बेस ट्रांसीवर स्टेशनों के माध्यम से देश के 99.9% जिलों को कवर कर रहा है।

11- डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) :-

- आधार : फरवरी 2026 तक 143 करोड़ से अधिक विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्याएं जारी।
- UPI: जनवरी 2026 तक लगभग 21.7 अरब लेनदेन, प्रति माह करीब ₹28.33 लाख करोड़ का संचालन।
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC): 6.5 लाख से अधिक ग्रामीण स्तर के उद्यमियों द्वारा संचालित।

12- डिजिटल साक्षरता और शिक्षा

- PMGDISHA: मार्च 2024 तक 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित।
- DIKSHA: 19,698 से अधिक पाठ्यक्रम, 2025-26 में 18.33 करोड़ नामांकन।

13- शोध के उद्देश्य :- प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

- 13-1 रांची जिले में महिलाओं समावेश की स्थिति का अध्ययन करना।
- 13-2 महिलाओं की औद्योगिक क्षेत्र में भूमिका का अध्ययन करना।
- 13-3 डिजिटल तकनीक की उपयोगिता का अध्ययन करना।
- 13-4 महिलाओं के डिजिटल समावेश में आने वाली बाधाओं की पहचान करना।
- 13-5 सतत विकास में महिलाओं की औद्योगिक भागीदारी के महत्व का अध्ययन करना।
- 13-6 महिलाओं के डिजिटल एवं औद्योगिक सशक्तिकरण के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

14- भारत में बढ़ती डिजिटल लत के लिए जिम्मेदार कारक :-

- 14-1 सर्वव्यापी पहुंच : 2024 में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 97 करोड़ तक पहुंच गई थी और 2025 तक 85.5% घरों में स्मार्टफोन की उपलब्धता हो गई है।

- 14-2 अत्यधिक उत्तेजक प्लेटफॉर्म** : डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है, जो 'बिज-वाचिंग' (लगातार वीडियो देखना) और अंतहीन स्क्रॉलिंग को बढ़ावा देते हैं।
- 14-3 डिजिटल परिवेश** : आज के युवा एक षाहन डिजिटल परिवेश में रह रहे हैं, जो निरंतर संलग्नता का एक चक्र उत्पन्न करता है।
- 14-4 तत्काल संतुष्टि** : सोशल मीडिया तत्काल पुरस्कार (लाइक्स, कमेंट्स आदि) प्रदान करता है है, जिससे मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज होता है। यही प्रक्रिया नशे जैसी लत का कारण बन सकती है।
- 14-5 अन्य कारक** : साथियों का प्रभाव, सामाजिक मान्यता की आवश्यकता, और अकेलेपन या तनाव जैसे वास्तविक जीवन के मुद्दों से बचने का प्रयास।

15- महिलाओं के डिजिटल समावेश में प्रमुख बाधाएँ :-

- 15-1 डिजिटल साक्षरता का अभाव।
- 15-2 इंटरनेट सुविधा की असमान उपलब्धता।
- 15-3 स्मार्टफोन एवं कंप्यूटर की सीमित उपलब्धता।
- 15-4 डिजिटल उपकरणों की लागत।
- 15-5 डिजिटल वित्तीय सेवाओं की जानकारी का अभाव।
- 15-6 साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता की कमी।
- 15-7 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतर।
- 15-8 तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की सीमित उपलब्धता।
- 15-9 पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतिबंध।
- 15-10 औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए पर्याप्त कौशल एवं नेतृत्व अवसरों का अभाव।

16- बढ़ता हुआ वैश्विक मानवाधिकार संकट :-

दुनिया भर में हर तीन में से एक महिला हिंसा, का सामना करती है, और ऑनलाइन मंचों पर यह खतरा और भी बढ़ जाता है।

- वैश्विक स्तर पर 38 प्रतिशत महिलाएँ किसी न किसी रूप में डिजिटल हिंसा झेल चुकी हैं।
- 85 प्रतिशत महिलाएँ ऐसी हिंसा को होते हुए देख चुकी हैं।

एशिया-प्रशान्त क्षेत्र में स्थिति और गंभीर है। यहाँ 76 प्रतिशत महिला सांसदों को ऑनलाइन मनोवैज्ञानिक हिंसा का सामना करना पड़ता है और 60 प्रतिशत महिलाओं को सोशल मीडिया पर सीधी धमकियाँ मिलती हैं।

भारत में भी महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध, हाल के वर्षों में दोगुने से ज्यादा बढ़े हैं, विशेषकर ऑनलाइन उत्पीड़न और निजी तस्वीरों को बिना अनुमति साझा करने के मामलों में।

इसके बावजूद, दुनिया की 44 प्रतिशत महिलाओं व लड़कियों को, डिजिटल हिंसा से बचाव के लिए कोई कानूनी सुरक्षा कवच हासिल नहीं है।

17- शोध विधि :-

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक एवं सर्वेक्षणात्मक शोध-विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन का क्षेत्र रांची जिला है। प्राथमिक आकड़ों के लिए औद्योगिक क्षेत्र, महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों तथा ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं से प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी एकत्र की गयी है।

द्वितीयक आकड़ों के लिए जनगणना, सरकारी रिपोर्ट, आर्थिक एवं सांख्यिकीय रिपोर्ट, SDG संबंधी दस्तावेज तथा संबंधित शोध-पत्रों का उपयोग किया गया है। नमूना चयन में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को शामिल करके डिजिटल पहुँच, डिजिटल कौशल, बैंकिंग उपयोग, रोजगार, उद्यमिता तथा औद्योगिक भागीदारी की तुलना की गई है।

18. सुझाव :-

- 18-1 राँची जिले में महिलाओं के लिए विशेष डिजिटल साक्षरता केंद्र स्थापित किए जाएँ।
- 18-2 ग्रामीण एवं जनजातीय महिलाओं के लिए स्थानीय भाषा में डिजिटल प्रशिक्षण दिया जाए।
- 18-3 महिला उद्यमियों को डिजिटल मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया जाए।
- 18-4 महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग एवं वित्तीय साक्षरता से जोड़ा जाए।
- 18-5 औद्योगिक संस्थानों में महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम बढ़ाए जाएँ।
- 18-6 महिला स्वयं सहायता समूहों को ई-कॉमर्स और डिजिटल बाजार से जोड़ा जाए।
- 18-7 महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सुलभ डिजिटल प्रशिक्षण वातावरण विकसित किया जाए।
- 18-8 तकनीकी संस्थानों और उद्योगों के बीच महिला कौशल विकास के लिए सहयोग बढ़ाया जाए।
- 18-9 महिला उद्यमियों को उत्पाद डिजाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और ऑनलाइन विपणन की सुविधा दी जाए।

निष्कर्ष :-

भारत के पिछले एक दशक के डिजिटल रूपांतरण ने प्रौद्योगिकी, शासन, शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच को बुनियादी तौर पर पुनः आकार कर दिया है। सार्वभौमिक संपर्क, सुदृढ़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और उन्नत कंप्यूटिंग क्षमता के संयोजन के माध्यम से शहरी, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिक अब देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), पीएमजीडिशा, पीएम-वाणी जैसे कार्यक्रमों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों और एसटीईएम (STEM) में महिलाओं के लिए लक्षित पहलों ने कनेक्टिविटी को ठोस सामाजिक-आर्थिक परिणामों में परिवर्तित किया है।

सतत विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदारी के बिना समावेशी आर्थिक विकास संभव नहीं है। डिजिटल समावेशन महिलाओं को सूचना, शिक्षा, वित्तीय सेवाओं, रोजगार और बाजार से जोड़कर उनकी आर्थिक क्षमता को मजबूत कर सकता है। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी परिवार और समाज की आय तथा उत्पादकता को बढ़ाने में योगदान देती है।

राँची जिला औद्योगिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से झारखंड का महत्वपूर्ण केंद्र है। जिले में बड़े उद्योगों के साथ ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प, हैंडलूम, खादी और वस्त्र जैसी गतिविधियाँ भी मौजूद हैं। इसलिए महिलाओं को डिजिटल तकनीक, कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सेवाओं और बाजार से जोड़कर औद्योगिक विकास को अधिक समावेशी बनाया जा सकता है।

अतः राँची जिले में सतत विकास की दृष्टि से ऐसी रणनीति आवश्यक है जिसमें डिजिटल समावेशन, महिला कौशल विकास, उद्यमिता, औद्योगिक रोजगार, वित्तीय समावेशन को एक साथ जोड़ा जाए। इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने के साथ-साथ राँची जिले के समावेशी एवं सतत औद्योगिक विकास को भी गति मिल सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

पुस्तकें

- 1- थॉमस, प्रदीप निनान, (2012). Digital India: Understanding Information] Communication and Social Change. नई दिल्ली: SAGE Publications
- 2- सिन्हा, आर. पी. (2018). ई-गवर्नेंस इन इंडिया : इनिशिएटिव्स एंड इश्यूज. नई दिल्ली : कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग.
- 3- जैन, अशोक. (2020). सूचना प्रौद्योगिकी और समाज. नई दिल्लीरू नेशनल बुक ट्रस्ट.

- 4- भारत सरकार, जनगणना विभाग, भारत की जनगणना 2011 : जनसंख्या एवं साक्षरता संबंधी आकड़े, नई दिल्ली।
- 5- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड आर्थिक सर्वेक्षण, रांची।
- 6- मिश्रा, एस. के. शिक्षा समाज एवं विकास, नई दिल्ली, आर लाल बुक डिपो।
- 7- भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय – महिला सशक्तिकरण से सम्बंधित वार्षिक रिपोर्ट, नई दिल्ली।

Citation: Abbas. S. R., (2026) “सतत विकास के सन्दर्भ में डिजिटल समावेशन और औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका : रांची जिले के विशेष सन्दर्भ में”, *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-08, August-2026.